



# कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण



सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर 273212

दूरभाष-(0551) 2580010 ई-मेल ceogida-up@up.gov.in Website-www.gidagkp.in

## कार्यालय-ज्ञाप

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-324/91-2022 दिनांक 17-05-2022 के माध्यम से उ0 प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत समस्त विभागों के लिये 10 सेवायें अधिसूचित की गयी हैं जो निम्नवत् हैं :-

1. पेंशन स्वीकृति पर निर्णय।
2. जी0पी0एफ0 स्वीकृति पर निर्णय।
3. चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय।
4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)
5. प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय।
6. उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय।
7. वेतन भुगतान पर निर्णय।
8. गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय।
9. सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय।
10. मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय।

उपर्युक्त पत्र में शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि अपने से संबंधित विभागाध्यक्षों/निदेशालयों/निगमों आदि के कर्मचारी संघों के पदाधिकारीगण को उ0 प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अधिसूचित उपरोक्त 10 सेवायें से अवगत कराया जाये ताकि वे इन सेवाओं से जागरुक हो सकें।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-665/77-2-2022 दिनांक 19-05-2022 के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 से आच्छादित सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

| क्रमांक | अधिकारी का नाम/पदनाम          | मोबाइल नम्बर/ई-मेल                |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.      | श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव | 9454413193<br>soiid2.up@gmail.com |

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पत्रांक 1445/गीडा/कम्प्यूटर-11/18 (पार्ट-1)/2022-23 दिनांक 28 जून, 2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त अनुभाग प्रभारी, गीडा।
3. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, गीडा।
4. कार्यालय आदेश पत्रावली हेतु।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।